

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री ओम प्रकाश टेलर मु. पो. बानसेन, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़  
बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर  
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 34/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.03.2019	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्त श्री ओम प्रकाश टेलर मु. पो. बानसेन तहसील भदेसर ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.12.2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.12.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 29.01.2019 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 28.02.2019 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 06 दिवस के पश्चात् दिनांक 06.03.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है तथा न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर से सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.12.2018 की प्रति प्रस्तुत की है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	<p>11.03 13/3/19</p>



(शिवांगी स्वर्णकार)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)